

18.12.18 डीपीलॉट के अधिवक्ता अनुपास्थित।

रेसो. की तलबी हेतु समन तलेबाना
पेश नदी किया है जबकि पूर्व के पर्यटन
अवसर उदान किया गये है। राज न्यायालय
समय में डीलगा-डीलग तीन बार
डीपीलॉट व उनके अधिवक्ता को उपस्थित
होने के लिये आवाज लगाई, किंतु
बावजूद सूचना अनुपास्थित रहे व शांति
आदेश की पाहना नदी की है। लिहाजा
डीपीलॉट की यह डीपील आदम हजरी
एवं न्यायालय आदेश की अपाहना
के लिये खारिज की जाती है। मिसल
मिसल सुमार होकर नम्बर से कम हो
एवं दाखिल दफ्तर हो।

जिला कमिश्नर
बाइमर